श्री राजीव भरतरी, प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष कार्यकारी समिति उत्तराखण्ड कैम्पा की अध्यक्षता में दिनांक 12 अप्रैल, 2023 को मंथन सभागार में आयोजित उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा) की कार्यकारी समिति की नवम् बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थित सदस्यों / प्रतिनिधियों का विवरण

1. श्री कपिल लाल, अपर प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाऐं (नोडल अधिकारी, राज्य वन विकास अभिकरण) उत्तराखण्ड।
2. श्री एस0एस0 रसाइली, अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी–वन संरक्षण, उत्तराखण्ड ।
3. श्री आर0 के0 मिश्र, अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव प्रशासन एवं आसूचना, उत्तराखण्ड।
4. श्री ए0 के0 राजपूत उपायुक्त, ग्राम्य विकास, प्रतिनिधि–अपर सचिव, ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड, शासन।
5. श्री दिनेश कुमार, संयुक्त सचिव, राजस्व, प्रतिनिधि–अपर सचिव, राजस्व उत्तराखण्ड, शासन।
6. श्री एस.पी. सिंह, उप सचिव, वन एवं पर्यावरण, प्रतिनिधि– अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन।
7. श्री इमाम अली, उप सचिव, जनजाति विकास, प्रतिनिधि– अपर सचिव, जनजाति विकास, उत्तराखण्ड शासन।
8. श्री खजान चन्द पाण्डे, वित्त नियंत्रक, वन विभाग उत्तराखण्ड।
9. श्री एन.के. तिवारी, उप निदेशक, पंचायती राज, प्रतिनिधि, अपर सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
10. प्रतिनिधि, श्रीमती अमिता विश्वास, जिला पंचायत सदस्य, उ0 सिंह नगर।
11. प्रतिनिधि, श्रीमती हरविंदर कौर, जिला पंचायत सदस्य, उ0 सिंह नगर।
12. श्री जी0एस0 पाण्डे, अपर प्रमुख वन संरक्षक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा।

सर्वप्रथम सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा समस्त सदस्यों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्यकारी समिति की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा उत्तराखण्ड कैम्पा की पृष्ठभूमि अर्थात प्रारम्भ जब से कैम्पा सोसायटी मोड में रहा, तदोपरान्त एडहॉक कैम्पा एवं 14 सितम्बर, 2018 से भारत सरकार द्वारा अधिसूचित CAF Act, 2016 प्रतिकरात्मक अधिनियम, 2016 की धारा 10 (1) के प्राविधानों के अन्तर्गत नये उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण का गठन व कैम्पा के लक्ष्य, उद्देश्य एवं कैम्पा के अन्तर्गत सम्पादित किये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में विस्तार से अवगत कराया गया। बैठक में प्रथम बार प्रतिभाग कर रहे सदस्यों / प्रतिनिधियों के प्रतिभाग किये जाने के दृष्टिगत सदस्यगणों को कैम्पा अधिनियम, 2016 की धारा 19 (i) में कार्यकारी समिति के कर्त्तव्य, शक्ति एवं दायित्वों के सम्बन्ध में भी अवगत कराया गया।

तदोपरान्त बैठक के एजेण्डा बिन्दुवार कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

कार्यसूची कार्यकारी समिति 9.1 :– दिनांक 04.04.2022 को सम्पन्न कार्यकारी समिति की आठवीं बैठक की कार्यवाही की पुष्टि एवं अनुपालन :–

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा दिनांक 04.04.2022 को आयोजित अष्ठम बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार लिये गये निर्णयों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या से समिति के सदस्यगणों को अवगत कराया गया। समिति उपरोक्त से अवगत हुई।

कार्यसूची कार्यकारी समिति 9.2 :– वर्ष 2022–23 की राष्ट्रीय कैम्पा, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना, उसके सापेक्ष शासन से अवमुक्त बजट व व्यय प्रगति :–

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा समिति के सदस्यगणों को अवगत कराया गया कि वर्ष 2022–23 से राज्य प्राधिकरण के व्यय को छोड़कर शेष समस्त फील्ड कार्य बजटीय/कोषागार के माध्यम से कराये जा रहे हैं। साथ ही समिति को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय कैम्पा, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना ₹32015.00 लाख के सापेक्ष शासन द्वारा वर्तमान तक ₹30323.82 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है। इसमें से ₹25631.71 लाख की धनराशि सम्बन्धित क्रियान्वयन अभिकरणों को आवंटित की जा चुकी है, जिसके सापेक्ष आतिथि तक IFMS अनुसार व्यय की स्थिति ₹22972.49 लाख (लगभग 90 प्रतिशत) प्राप्त हुई है।

समिति को उपरोक्तानुसार वर्ष 2022–23 में हुये व्यय के सम्बन्ध में कैम्पा नियमावली, 2018 के नियम–6(a) एवं 6(b) के अनुसार राज्य प्राधिकरण के प्रबन्धन हेतु स्वीकृत ₹400.00 लाख की धनराशि के सापेक्ष दिनांक 31.03.2023 तक हुये कुल ₹134.51 लाख की धनराशि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया गयाः–

CAMPA Management & Operational Expenses- ₹ 134.51 lakh (as on 25.03.2023)

I.	Salary & allowances of State Authority-	₹115.15 lakh
II.	Operational & Maintenance Exp.-	₹ 3.31 lakh
III.	Utility exp. (Telephone, water etc.)-	₹ 1.38 lakh
IV.	Operating exp.(Stationery, Printing, Travelling,	₹ 14.67 lakh
V.	Workshop, meetings etc.)-	

बैठक में अपेक्षा की गयी कि कैम्पा के MIS में नियमित रूप से प्रविष्टियां पूर्ण की जायें।

कार्यसूची कार्यकारी समिति 9.3 :– वर्ष 2023–24 की वार्षिक कार्ययोजना का निरूपण।

कैम्पा अधिनियम, 2016 की धारा –19(1) (i) के अनुसार राज्य प्राधिकरण की कार्यकारी समिति द्वारा वार्षिक कार्ययोजना का निरूपण कर संचालन समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का प्राविधान है। समिति को अवगत कराया गया कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2023–24 हेतु कैम्पा योजना के अंतर्गत कुल ₹32554.46 लाख की धनराशि का बजट स्वीकृत किया गया है।

कैम्पा अधिनियम की धारा–19(1) (i) के क्रम में वर्ष 2023–24 की वार्षिक कार्ययोजना के निरूपण हेतु विभिन्न क्रियान्वयन अभिकरणों के स्तर से उनके जोनल अधिकारियों के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं का कैम्पा के मानकों के अनुसार परीक्षण करने, अनिवार्य गतिविधियों को पूर्ण करने हेतु आवश्यक धनराशि का प्राविधान करने, गतिविधिवार/प्रभागवार यथा संशोधन उपरान्त कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तावित अनन्तिम गतिविधिवार/घटकवार कुल ₹410.21 करोड़ की वार्षिक कार्ययोजना का प्रस्तुतिकरण किया गया।

(धनराशि ₹ करोड़ में)

वचनबद्ध गतिविधियां			IWLMP	एन0पी0वी0 (NPV)	अर्जित ब्याज (Interest)	कुल योग
क्षतिपूरक वनीकरण (CA)	अन्य विशिष्ट कार्य (others)	कैट प्लान(CAT)				
75.34	19.91	77.10	4.18	212.12	21.56	410.21

समिति को अवगत कराया गया कि वर्ष 2023–24 की उक्तानुसार प्रस्तावित कार्ययोजना के अन्तर्गत क्षतिपूरक वनीकरण के अंतर्गत 3025.89 है0 अग्रिम मृदा कार्य व 2200 है0 वृक्षारोपण कार्य, 14825 है0 अनुरक्षण कार्य; 11 कैट प्लानों का क्रियान्वयन (4442 है0 वनीकरण व अनुरक्षण कार्य, जलागम प्रबन्धन, आजीविका सुधार आदि); मृदा एवं जल संरक्षण (410 जल स्रोतों/जल धाराओं में डी.टी.आर. के अनुसार कार्य); वन पंचायतों में 507 है0 थीम बेस्ड प्लान्टेशन; फॉरेस्ट लैण्डस्केप रेस्टोरेशन (एफ0एल0आर0) के अंतर्गत 4187 है0 अवनत वन क्षेत्रों का विकास; मानव वन्य जीव संघर्ष रोकथाम हेतु 32 Quick Response Squad का गठन; उत्तरकाशी वन प्रभाग के अंतगत स्नो लैपर्ड कंजर्वेशन सेन्टर की स्थापना; वानिकी अनुसन्धान हेतु ₹2.88 करोड़ का प्राविधान; वन पंचायतों के सुदृढ़ीकरण हेतु ₹11.71 करोड़ का प्राविधान; क्षतिपूरक वनीकरण, एन0पी0वी0 व अन्य स्थल विशिष्ट घटकों के अंतर्गत 32.78 लाख पौध रोपण; फंट लाइन स्टाफ हेतु 32 मल्टी यूटिलिटी वाहनों का ₹4.00 करोड़ से क्रय; 2392 है0 क्षेत्र में विभिन्न बुग्यालों के संरक्षण एवं संवर्द्धन कार्य; डिजिटाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट बाउण्ड्रीज (डी0जी0पी0एस0 सर्वे) हेतु ₹20.00 करोड़; वनाग्नि सुरक्षा हेतु लगभग ₹10.00 करोड़ आदि कार्य प्रमुख हैं।

तदोपरान्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना के घटकों के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित इंटीग्रेटेड ए.पी.ओ. के प्रारूप के अनुसार तैयार कार्ययोजना एवं उसके गतिविधिवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों सहित विवरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बैठक में विस्तृत चर्चा के उपरान्त निम्न निर्णय लिये गये:–

(1) कैट प्लान के अन्तर्गत वर्ष 2023–24 हेतु ₹77.10 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की गयी थी किन्तु अपर प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाये/नोडल अधिकारी राज्य वन विकास अभिकरण द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि वर्ष 2022–23 की वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष पूर्ण धनराशि आवंटित किये जाने व उसके उपयोग के दृष्टिगत वर्तमान स्थिति को देखते हुए कैट प्लान के अन्तर्गत वर्ष 2023–24 की वार्षिक कार्ययोजना में लगभग ₹70.00 करोड़ की धनराशि की आवश्यकता है। अतः समिति द्वारा तद्नुसार कैट प्लान के प्रस्तावित ₹77.10 करोड़ के प्रस्ताव को ₹70.00 करोड़ हेतु संशोधित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में यह अपेक्षा की गयी कि कार्यकारी समिति की अगली बैठक में कैट प्लान के अन्तर्गत डी.पी.आर. अनुसार प्रत्येक गतिविधि के अन्तर्गत किये गये कार्यों व उनके आउटकम पर पृथक से प्रस्तुतीकरण दिया जाय।

(2) वन्यजीव कार्ययोजना (आई.डब्ल्यू.एल.एम.पी.) के अन्तर्गत प्राप्त पिथौरागढ़ एवं हल्द्वानी वन प्रभाग के स्थल विशिष्ट ₹4.18 करोड़ के प्रस्ताव पर समिति द्वारा सहमति प्रदान की गयी। अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि रायपुर, देहरादून

क्षेत्र में प्रस्तावित उत्तराखण्ड विधानसभा के निर्माण हेतु स्वीकृत वन भूमि हस्तान्तरण के प्रकरण में आई.डब्ल्यू.एल.एम.पी. मद जिसमें हाथी कोरिडोर के संरक्षण सहित विभिन्न कार्यों हेतु प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा जमा करायी गयी धनराशि से की जाने वाली गतिविधियों को वर्ष 2023–24 की वार्षिक कार्ययोजना में क्रियावयन हेतु सम्मिलित किया जाय। कार्यकारी समिति द्वारा इस पर सहमति प्रदान करते हुए निर्णय लिया गया कि नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड द्वारा सम्बन्धित वन प्रभाग से उक्त का प्रस्ताव प्राप्त कर धनराशि जमा होने की पुष्टि के साथ संचालन समिति की बैठक से पूर्व उत्तराखण्ड कैम्पा को उपलब्ध कराया जाय, ताकि इसे वर्ष 2023–24 की वार्षिक कार्ययोजना में सम्मिलित कर संचालन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

(3) अध्यक्ष महोदय द्वारा कैम्पा के अन्तर्गत 2 अन्य महत्वपूर्ण वन्यजीव कोरिडोर के संरक्षण किये जाने हेतु अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव व आसूचना को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

(4) समिति को अवगत कराया गया कि कैम्पा नियमावली, 2018 के नियम 5(2)(d) के अन्तर्गत वर्ष 2022–23 में मानव वन्यजीव संघर्ष रोकथाम के दृष्टिगत सोलर फेसिंग, हाथी सुरक्षा दीवार व हाथी खाई खुदान हेतु लगभग ₹ 10.00 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की गयी थी किन्तु राष्ट्रीय कैम्पा, भारत सरकार द्वारा इन गतिविधियों के सम्बन्ध में भारतीय वन्यजीव संस्थान से विस्तृत अध्ययन कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इसी क्रम में वर्ष 2023–24 के अन्तर्गत एन.पी.वी. में भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) के माध्यम Study on impact of electric fencing, protection wall for elephants and wild boars and elephants trenches and combating HWC and protection of forests/ plantation and suggesting such necessary interventions मद में ₹ 1.00 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की गयी है। समिति द्वारा इस प्रस्ताव की सराहना की गयी।

(5) Improvement of wildlife habitat मुख्य मद के अन्तर्गत **High tech equipment for enhancement and enforcement** हेतु 129 उपकरणों के लिये ₹ 32.00 लाख की धनराशि प्राविधानित की गयी है। अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि विभाग में वन्यजीवों की सुरक्षा हेतु विभिन्न उपकरणों, पिस्टल, ट्रेकुलाईजिंग गन, प्रोमप्ट एक्शन गन एवं वन्यजीव गणना व वन्यजीव की मॉनिटरिंग हेतु मॉडर्न टेक्नोलोजी के उपयोग के अन्तर्गत ड्रोन की विशेष आवश्यकता बताई गयी। समिति द्वारा अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव एवं आसूचना के स्तर से तत्काल इस हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया, ताकि इनका कैम्पा के मानकों के अनुरूप परीक्षण कर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

(6) एन.पी.वी. में वन पंचायतों के सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत नियम 5(2)(d) में **Construction and Maintenance of boundary pillar in Van Panchayats** हेतु प्राविधानित ₹ 57.00 लाख की धनराशि के सम्बन्ध में समिति द्वारा इसके आकार में वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया। साथ उनके द्वारा इस मद के नाम को संशोधित करते हुए Mapping, Construction and Maintenance of boundary pillar in Van Panchayats किये जाने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में इस मद में धनराशि को ₹ 57.00 लाख से बढ़ाते हुए ₹ 200.00 लाख किये जाने का निर्णय लिया गया।

(7) समिति द्वारा नियम 5(2)(f) के अन्तर्गत वनाग्नि सुरक्षा में प्रस्तावित 1554 उपकरणों के क्रय हेतु प्रस्तावित ₹ 110.36 लाख की धनराशि को इस आधार पर कम किये जाने का निर्णय लिया गया कि

इस मद हेतु धनराशि अन्य स्रोतों से प्राप्त हो रही है। अतः इस मद में प्रस्तावित के सापेक्ष 50 प्रतिशत की धनराशि प्राविधानित की जाय। साथ ही अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि वनाग्नि सुरक्षा मुख्य मद के अन्तर्गत 40 मॉडल क्रू स्टेशन की स्थापना हेतु ₹ 8.00 करोड़ की धनराशि का अतिरिक्त प्राविधान इसमें सम्मिलित किया जाय। इन मॉडल क्रू स्टेशनों को ऐसे स्थानों पर बनाया जाय जहां पर यातायात की सुचारू व्यवस्था हो एवं ऐसे स्थल/केन्द्र का चयन किया जाय जहां आवश्यकता पड़ने पर आसानी से पहुंचा जा सके।

(8) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अवगत कराया गया कि मई, 2022 में सियोल में हुई वर्ल्ड फोरेस्ट्री कांग्रेस में इस बात पर सहमति हुई है कि वनों के लैंडस्केप में Restoration किये जाने की आवश्यकता है। इसके दृष्टिगत एफ.एल.आर. **(Forest Landscape Restoration) के अन्तर्गत** 4187 है0 वन क्षेत्र में Restoration कार्य प्रस्तावित किया गया है, जिसमें प्राकृतिक पुनरोत्पादन को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से एक composite plan के तहत खरपतवार/अवांछनीय प्रजातियों का उन्मूलन, जल संरक्षण, वन व वनाग्नि सुरक्षा, बीज बुवान/छिड़काव कार्य आदि सम्मिलित किये गये हैं। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि इस तरह की गतिविधियों में कम से कम 3 वर्षीय perspective plan तैयार होना चाहिए, जिसमें सम्मिलित एफ.एल.आर. के क्षेत्रों की संख्या भी स्पष्ट होनी चाहिए। समिति प्रस्ताव से सहमत हुई।

(9) अध्यक्ष महोदय द्वारा सुझाव दिया गया कि नियम 5(3)(i) मुख्य मद प्रचार एवं प्रसार गतिविधि में प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास के अन्तर्गत हेतु विभिन्न क्रियान्वयन इकाईयों, एफ.टी.आई., हल्द्वानी व वन पंचायत के अन्तर्गत विभिन्न स्तरों पर प्रस्तावित किये गये प्रशिक्षणों (ब्लॉक, जिला एवं उच्च स्तर) में कुल प्राविधानित ₹ 7.36 करोड़ की धनराशि के अंतर्गत BMC (Biodiversity Management Committee) के क्षमता विकास व स्कूलों में ईको क्लबों को सहायता के माध्यम से पर्यावरण, वन संरक्षण एवं पारिस्थितिकीय संतुलन के सम्बन्ध में स्कूली बच्चों में जागरूकता लाये जाने व उनकी क्षमता विकास से संबंधित प्रशिक्षण/वर्कशॉप/एक्सपोजर आदि को भी सम्मिलित किया जाय।

(10) नियम 5(2)(k) के एनीमल रेस्क्यू सेंटर की स्थापना एवं अनुरक्षण हेतु प्रस्तावित ₹ 3.60 करोड़ की धनराशि के सम्बन्ध में समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गयी, साथ ही उनके द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि कॉर्बेट रेस्क्यू सेंटर हेतु जो धनराशि प्रस्तावित की गयी है, उसका यह परीक्षण अवश्य कर लिया जाय कि कहीं कार्य को पूर्ण करने के लिये कैम्पा से आंशिक वित्तपोषण /अन्य योजनाओं से मिक्सिंग तो नहीं हो रही है।

(11) समिति को अवगत कराया गया कि प्रस्तावित कार्ययोजना में अर्जित ब्याज के अन्तर्गत कुल ₹ 21.56 करोड़ प्रस्तावित की गयी है, जिसमें क्षतिपूरक वनीकरण गतिविधियों में अनुसूचित दरों में वृद्धि की प्रतिपूर्ति (Incremental cost) हेतु ₹ 15.96 करोड़ की धनराशि सम्मिलित है। शेष धनराशि ₹ 5.60 करोड़ राज्य प्राधिकरण स्टाफ के वेतन भत्ते एवं अन्य प्रबन्धन व्यय हेतु प्रस्तावित है।

समिति द्वारा उपरोक्त लिये गये निर्णयों के साथ प्रस्तुत की गयी वर्ष 2023-24 वार्षिक कार्ययोजना को तद्नुसार संशोधित करते हुए संचालन समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु निम्न घटकों के अंतर्गत कुल ₹ 411.74 करोड़ के वित्तीय लक्ष्यों को अन्तिमीकृत (finalize) किया गया:-

(धनराशि ₹ करोड़ में)

वचनबद्ध गतिविधियां			IWLMP	एन0पी0वी0 (NPV)	अर्जित ब्याज (Interest)	कुल योग
क्षतिपूरक वनीकरण (CA)	अन्य विशिष्ट कार्य (others)	कैट प्लान (CAT)				
75.34	19.91	70.00	4.18	220.88	21.56	411.87

प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2023–24 का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:–

(धनराशि ₹ करोड़ में)

S.No	CAF Act/Rules	Head	Activity	Proposed		Remarks
				Phy. Target	Fin. Target	
1	Site-specific activities as per section 6 (a) of the CAF Act, 2016					
	Mandatory Activity	Compensatory afforestation	CA Advance Soil Work	3025.89	32.92	Against Backlog
			CA Plantation	2200	12.08	On previous year ASW
			CA Plantation Maintenance	14825	30.34	upto 8th year of plantations
			Sub-Total		**75.34**	
		Catchment Area Treatment Plan	CAT Tapovan-Vishnugad HEP (2011-12)	73 ha, 341 Nos.	9.13	
			CAT Singoli-Bhatwari HEP (2011-12)	1254 Nos.	2.06	
			CAT Lata-Tapovan HEP (2011-12)	2777 Nos.	1.85	
			CAT Phatta-Byung HEP (2011-12)	92 Nos.	1.20	
			CAT Vishnugad-Peepalkoti HEP (2017-18)	626 ha, 147 Nos.	8.06	
			CAT Lakhwar HEP (2017-18)	2214 ha, 6973 Nos.	22.02	
			CAT Vyasi HEP (2018-19)	341 ha, 631 Nos.	3.21	
			CAT Naitwar-Mori HEP (2019-20)	329 ha, 338 Nos.	1.64	
			CAT Srinagar HEP (2011-12)	consolidation phase	0.43	
			CAT Jamrani MPP (2020-21)	834 ha, 1428 Nos.	18.41	
			CAT Khutani HEP (2018-19)	25 ha	0.31	
			CAT PMU	5 Nos.	1.67	
			Sub-Total		**70.00**	
		Integrated wildlife Management Plan	IWMP - Integrated Wildlife Management Plan	1	4.18	Pithoragarh & Haldwani FD
			Sub-Total		**4.18**	
		Other	Other Roadside Plantations	170.66 km and 31350 plants	6.64	
			Other Roadside Plantation Maintenance	32.24 km	0.47	
			Other Gap Filling Plantations	192.96 ha and 23940 plants	1.52	
			Other Gap Filling Plantation	0.18 ha and	0.32	

S.No	CAF Act/Rules	Head	Activity	Proposed		Remarks
				Phy. Target	Fin. Target	
			Maintenance	208901 plants		
			Other Dwarf Species Plantation	149.72 ha and 84742 plants	1.91	
			Other Dwarf Species Plantation Maintenance	191.40 ha and 88800	0.55	
			River Training	334	8.50	
			Sub-Total		**19.91**	
		Total site specific Activities under CA			**169.43**	
2		**Activity as per Rule 5(2) of CAF Rules, 2018**				
	5(2)a	ANR - Assisted Natural Regeneration (ANR)	Assisted Natural Regeneration (ANR) in degraded forests	2171	7.30	Maintenance part
			Sub-Total	**2171**	**7.30**	
	5(2)b	AR-Artificial Regeneration	Plantations (Oak, Deodar and other Mixed Plantations)	1284.85	5.83	
			Plantation Maintenance under NPV	1043.00	2.21	
			Mixed Plantations in Van Panchayats	766.50	1.79	
			Pasture Development in Van Panchayats	334.00	0.90	
			Theme based plantation of other economically important species for promoting forest based income generation in Van Panchayats	507.00	4.53	
			Sub-Total		**15.26**	
			Maintenance of Demonstration plots & trials for Research (R&D)	40.23 ha	1.42	
			Community Plantations and Mobilization during Harela / Van Mahotsava	32500 plants	1.12	
			Plantation Activities in compliance of Hon. NGT orders in OA 200/2014, OA 673/2015 and OA 325/2015	130.44	0.17	
			Urban / Aesthetic Plantations	7 cities / locations	4.00	
			Sub-Total		**6.71**	
			Namami Gange - ASW	1104.00	8.93	
			Namami Gange - Plantation	1390.00	4.72	
			Sub-Total		**13.65**	
			TOTAL (AR)		**35.62**	
	5(2)c	Silvicultural Operation	Strengthening of modern Seed Storage facility for important nurseries and	3 Nos. & 4.86 ha	0.16	research & use of drones for seed sowing

S.No	CAF Act/Rules	Head	Activity	Proposed		Remarks
				Phy. Target	Fin. Target	
			research nursery maintenance (R&D)			
			Nursery Raising for plantations under CA, Others & NPV	3278904	4.59	
			Nursery Maintenance	9649764	4.99	
			Sub-Total		**9.74**	
			Development of nursery techniques for Lyonia, Hippophae, Osmanthus & Catamix & modernization of soil testing lab (R&D)	5 Nos.	0.07	
			Establishment & maintenance of seed plots / orchards (R&D)	6 Nos. & 15.10 ha	0.24	
			Application of drone technology for seed sowing in identified inaccesible forest areas in Pithoragarh and Gopeshwar (R&D)	2 locations	0.13	
			Sub-Total		**0.44**	
	5(2)d	Protection of Plantation and forests	Protection & Conservation of Bugyals / Alpine Meadows	2392	4.02	
			Study on impact of electric fencing, protection walls for elephants and wild boars and elephant trenches on combating HWC and protection of forests / plantations through WII	LS	1.00	
			Establishment of Structures for mitigation of human wildlife conflict at critical locations	LS	5.00	
			Purchase of Multiutility Vehicles for Frontline Staff for forest & wildlife protection	32.00	4.00	
			Sub-Total		**14.02**	
			Digitization of forest boundaries (pilot in lease areas and other disturbed areas) incl VPs	Entire State Forest	20.00	DGPS Survey
			Mapping, Construction and Maintenance of boundary pillar in Van Panchayats	1068.00	2.00	
			Microplanning & Preparation of Combined microplans in select Van Panchayats	827	1.25	
			Sub-Total		**23.25**	
	5(2)e	Pest and disease control				

S.No	CAF Act/Rules	Head	Activity	Proposed		Remarks
				Phy. Target	Fin. Target	
		in forests				
	5(2)f	Forest fire Prevention and control Operations	Fire Watchers	Fire waters - 1970 equipment - 777 crew stations - 59	7.9782	
			Establishment of modern fire crew stations in forest divisions	40 Nos.	8.00	
			Hiring of Vehicles during forest fire season (max 4 months)	118	0.80	
			Forest Fire control measures in Van Panchayats	0	0.41	
			Sub-Total		**17.19**	
	5(2)g	Soil and moisture conservation works	Springshed Management under Soil and Water Conservation Works including cost of Detailed Technical Reports, Plantations and implementation	410	26.3	Springshed & water bodies
			Soil and Water Conservation works in VPs (checkdams, rejuvenation of water sources)	429	1.07	
			SMC works in compliance of Hon. NGT orders in OA 200/2014, OA 673/2015 and OA 325/2015	759	2.02	
			Sub-Total		**29.39**	
	5(2)h	Voluntary relocation of villages from protected areas				
	5(2)i	Improvement of wildlife habitat	**Forest Landscape Restoration (FLR)** / Eco-restoration & habitat improvement of degraded areas under a composite approach	4187.00	13.47	
			Maintenance – Eradication of Lantana & other invasive species, grass plantation – year 1 & year 2	14337.91	7.87	
			Food for rescued wild animals	4.00	0.40	
			Deployment of Quick Response Squads to address human wildlife conflict in habitations supported with customized rescue vehicles, modern rescue equipment,	32.00	4.22	

S.No	CAF Act/Rules	Head	Activity	Proposed		Remarks
				Phy. Target	Fin. Target	
			gears etc.			
			Other innovative interventions for combating HWC	0.00	0.00	
			Anti-poaching related activities	0.00	1.55	Patrolling cost
			Solid Waste Management in protected areas (Gangotri National Park)	8.00	0.20	Gangotri National Park
			Construction of Snow Leopard Conservation Centre in Uttarkashi	1.00	4.87	
			Construction & Maintenance of Drinking Water holes for wild animals	62.00	0.20	
			Human Wildlife Conflict Management	0.00	3.20	
			Pasture / Chaur Development in protected areas	935	1.10	
			Hi Tech equipment for enhancement & enforecement	129.00	0.32	
			Sub-Total		**37.40**	
	5(2)j	Planting and rejuvenation of forest cover on non-forest land falling in wildlife corridors				
	5(2)K	Establishment maintenance of animal rescue centre and veterinary treatment facilities for wild animals	Construction & Maintenance of Rescue Centre	1.00	3.60	Corbett rescue centre
	5(2)l	Supply of wood saving, cooking appliances and other forest produce saving devices.				
	5(2)m	Management of biological diversity and diversity and biological resource	Collaborative Research for study of biodiversity & management of mossess, lichens, studies and research (Res.)	10 Nos. (incl 10.70 ha & 1.2 km)	0.44	
			Study on biodiversity of algae and orchinds under head demonstration plots & trials (Res.)	5 Nos.	0.07	
			Sub-Total		**0.51**	
			TOTAL (Rule 5(2)		**178.46**	**80.80%**
3		**Activities as per Rules 5(3) of the CAF Rule, 2018**				
	5(3)a	Establishment,	Development of Centralized	4 locations	3.00	

S.No	CAF Act/Rules	Head	Activity	Proposed		Remarks
				Phy. Target	Fin. Target	
		Maintenance of modern nurseries	modern nurseries / plant production facilities (Zero cost Centralized Nurseries)			
			Sub-Total		**3.00**	
	5(3)b	Promoting conservation sustainable use and documentation of biological diversity	Research Documentation on stock, natural habitat & management of biodiversity of important flora (R&D)	10 Nos.	0.28	
	5(3)c	Purchase and maintenance of equipment of devices for communication, information and technology	Research Info Network, digital library & equipment (R&D)	2	0.06	
			Communication & Information Technology, Range level saturation for computer & internet facilities	LS	1.10	
			Development of mobile application for concurrent monitoring of CAMPA works.	0	0	
			Sub-Total		**1.16**	
	5(3)d	Construction upgradation and maintenance of inspection paths, forest roads in forest areas , fire line watch towers, check posts and timber pests	Repair / Strengthening of Forest Roads / Bridle Path	2518.00	8.66	
			Construction of Patrolling Shelters	3 Nos.	0.73	
			Fire Lines maintenance	5057.94 km	0.85	
			Sub-Total		**10.24**	
	5(3)e	Construction of residential and official buildings	Construction of Range, forester & forest guard level buildings	76	19.18	Office and residences of frontline staff
			Infrastructural Strengthening in Residential premises of frontline staff	LS	0.00	
			Sub-Total		**19.18**	
	5(3)f	Casual engagement of local people or labours to assist regular staff of state Forest Department				
	5(3)g	Survey and mapping of forest areas for forest fire control, CA, SMC, CAT and Wildlife Management for preparing APO to be executed from the State Fund				

S.No	CAF Act/Rules	Head	Activity	Proposed		Remarks
				Phy. Target	Fin. Target	
	5(3)h	Independent concurrent monitoring & evaluation and third party monitoring	Third Party Monitoring and Evaluation of activities implemented between 2017-18 to 2020-21	0.00	1.20	
	5(3)i	Publicity cum awareness programme	Training & Capacity Building / workshops for Staff and other stakeholders	730	0.45	
			Village / Range / Division level trainings / workshops under various forest divisions	673	0.60	
			Block level / District level / VP level workshops under VPs	319	0.59	
			Trainings and Exposure of Research Staff	0	0.05	
			Strengthening of Forestry Training Institutes	3	3.30	FTA-Haldwani (3 Cr.)
			Publicity & Extension by Forest Department for protection, conservation and enforcement	0	2.00	
			Publication and extension under forestry research and Van Panchayats	0	0.37	
			Sub-Total		**7.36**	
	5(3)K	Forest certification and development of certification standards				
			TOTAL (Rule 5(3)		**42.42**	**19.20%**
			TOTAL RULE 5		**220.88**	
4	**Activities as per Rules 6 (a) of CAF Rules, 2018**					
	6(a)i	To offset incremental cost of CA/PCA at increased wage rate			15.96	
	6(a)ii	To offset increment cost of CAT at increased wage rate				
	6(a) iii	To offset Incremental cost of IWMP at increased wage rate				
	6(a)iv	For disbursement of salary and allowances of members and staff			2.50	
	6(a)v	For disbursement of sitting fees and allowances to nominated members			0.10	
	6(a)vi	Activities referred to in sub rule –(2) and (3) of Rules 5				
			Total - Rule 6(a)		**18.56**	
5		**Activities as per Rules 6(b) of CAF Rules, 2018**				
	6(a)i	Management of office			1.50	

S.No	CAF Act/Rules	Head	Activity	Proposed		Remarks
				Phy. Target	Fin. Target	
		establishment				
	6(a)ii	Office equipment including computers and peripherals and its maintenance			0.50	
	6(a)iii	Hiring of staff cars for the use of officers and officials			0.25	
	6(a)iv	Hiring of buildings on lease for office establishment and residences of the officers			0.50	
	6(a)v	Other contingencies for management of state Authority			0.25	
	6(a)vi	Any other activity for management of forest and wildlife with the approval of steering committee and included in the APO				
			Total -Rule 6(b)		3.00	
			Total Rule 6		21.56	
GRAND TOTAL					411.87	

नोटः कार्यसूची 9.3 के बिन्दु 02, 03 व 05 के क्रम में संबंधित के स्तर से प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना 2023–24 का कुल आकार परिवर्तित हो सकता है।

कार्यसूची कार्यकारी समिति 9.4 :– क्षतिपूरक वनीकरण के बैकलॉग की स्थिति, बैकलॉग पूर्ण न हो पाने के क्षेत्रीय स्तर से प्राप्त कारणों की समिति के स्तर पर चर्चा–

समिति को अवगत कराया गया कि क्षतिपूरक वनीकरण के अंतर्गत मार्च, 2022 तक 56824.23 है0 के सापेक्ष 49183.34 है0 लक्ष्य पूर्ण करने के अपरान्त वर्ष 2022–23 में 2415 है0 का क्षतिपूरक वनीकरण कार्य एवं 2200 है0 के क्षतिपूरक वनीकरण अग्रिम मृदा कार्य के लक्ष्य परस्तावित किए गये हैं। अग्रिम मृदा कार्य के सापेक्ष क्रियान्वयन इकाईयों से अंतिम सूचना प्राप्त होनी अपेक्षित है। उक्तानुसार लक्ष्यों के पूर्ण होने के उपरान्त अवशेष 3025.89 है0 के लक्ष्यों को वर्ष 2023–24 के अंतर्गत अग्रिम मृदा कार्य हेतु तथा विगत वर्ष में किये गये अग्रिम मृदा कार्य के 2200 है0 क्षेत्र में वृक्षारोपण किये जाने हेतु प्रस्तावित किया जा रहा है।

क्षतिपूरक वनीकरण के बैकलॉग के सम्बन्ध में समिति को यह भी अवगत कराया गया कि कतिपय प्रभागों में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित क्षेत्र विभिन्न कारणों यथा क्षेत्र के ढ़ंगारी/पथरीला होने, अत्यधिक न्यून व छितरे होने आदि के कारण वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त नहीं हैं। कुछ क्षेत्रों में मौके पर वनस्पतियों का घनत्व पर्याप्त होना पाया जा रहा है। इस प्रकार ऐसे प्रकरणों में बैकलॉग को पूर्ण करने में कठिनाइयां सूचित की गयी हैं।

कार्यसूची कार्यकारी समिति 9.5 :– कार्यकारी समिति के सदस्यों के सम्मुख निम्न बिन्दु भी संज्ञान में लाए गये :–

9.5(1) – उत्तराखण्ड कैम्पा की वर्ष 2020–21 की वार्षिक रिपोर्ट –

समिति को अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड कैम्पा की वर्ष 2020–21 की वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है, जिसे संचालन समिति की दिनांक 24.05.2022 को सम्पन्न षष्ठम बैठक में अनुमोदन प्रदान किया गया है एवं वर्ष 2021–22 की वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जा रही है। समिति उपरोक्त से अवगत हुई।

9.5(2)– राष्ट्रीय कैम्पा के स्तर पर जमा धनराशि का विवरण, एवं

9.5(3) – CAF Act, 2016 के अंतर्गत गठित प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि (CAF Fund) में जमा धनराशि एवं अर्जित ब्याज की अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में।

(i) समिति को राज्य कैम्पा की वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में निम्न प्रकार अवगत कराया गया :– कि वर्तमान में CAF Act, 2016 के अंतर्गत वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में प्रयोक्ता एजेन्सीज द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि पूर्व की भांति सीधे राष्ट्रीय कैम्पा स्तर पर राज्य के निर्धारित बैंक एकाउन्ट में जमा की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 में प्रयोक्ता एजेन्सीज द्वारा क्रमशः ₹ 143.99 करोड़ एवं ₹ 100.62 करोड़ की धनराशि जमा की गयी थी। राष्ट्रीय कैम्पा द्वारा 08 फरवरी, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक जमा धनराशि के सापेक्ष मिलान के पश्चात ₹ 119.00 करोड़ की धनराशि वर्ष 2022–23 में राज्य कैम्पा निधि में हस्तान्तरित की गई है। **CAF Act, 2016** की धारा–4(1) के अंतर्गत गठित उत्तराखण्ड राज्य कम्पेन्सेटरी एफोरेस्टेशन फण्ड (CAF Fund) में राष्ट्रीय कैम्पा द्वारा जमा किये गये राज्यांश (90%) की धनराशि, उत्तराखण्ड राज्य कैम्पा के स्तर पर उपलब्ध अवशेष कैम्पा निधि के सापेक्ष CAF Fund में जमा की गई निधि तथा राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष उत्तराखण्ड कैम्पा को अवमुक्त की गयी धनराशि के व्यय के उपरान्त Uttarakhand CAF Fund में वर्तमान में कुल ₹ 2253.72 लाख की धनराशि उपलब्ध है, जिसका निम्न विवरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया:–

CAMPA FUND DETAIL IN NEW AUTHORITY
(UTTARAKHAND COMPENSATORY AFFORESTATION FUND) (As on 31.03.2023)

(Amount in ₹ crores)

SL. NO.	HEAD	Total Received from National CAMPA	Released to CAMPA upto THE year 2021-22	Released to CAMPA during the year 2022-23	Total Released to CAMPA	Total Balance	Deposited in Uttarakhand Govt. Fund	Total Balance Funds as on 31.03.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Compensatory Afforestation (CA)	358.73	79.80	49.73	129.53	229.20	31.60	260.80
2	Net Present Value (NPV)	1517.01	360.00	184.10	538.59	978.42	38.39	1016.81
3	Catchment Area Treatment Plan (CAT)	169.59	67.52	48.85	116.37	53.22	15.85	69.07
4	Integrated Wildlife Managment Plan (IWLMP)	62.52	0.00	0.00	0.00	62.52	0.00	62.52
5	Interest	140.71	20.00	6.00	26.00	114.71	208.71	323.42
6	Others	545.53	20.50	14.56	35.06	510.47	10.63	521.10
Total		2794.09	547.82	303.24	845.55	1948.54	305.18	2253.72

(ii) समिति को अवगत कराया गया कि राज्य सरकार के स्तर से वर्ष 2019–20 से वर्ष 2021–22 तक कैम्पा निधि पर ₹ 266.39 करोड़ का ब्याज देय है, जिसमें से ₹ 150.00 करोड़ की धनराशि को उत्तराखण्ड शासन द्वारा मार्च, 2023 में अवमुक्त किया गया है, जिसे कैम्पा फण्ड में जमा किये जाने की कार्यवाही महालेखाकार, उत्तराखण्ड द्वारा की जा चुकी है। ब्याज की शेष धनराशि ₹ 116.39 करोड़ को कैम्पा फण्ड में जमा कराये जाने हेतु आवश्यक प्रस्ताव इस वित्तीय वर्ष 2023–24 में वन विभाग के माध्यम से शासन को प्रेषित किया जायेगा।

9.5(4) – कैम्पा कार्यों के तृतीय पक्ष मूल्यांकन कराए जाने के सम्बन्ध में –

समिति को अवगत कराया गया कि कैम्पा स्थापना वर्ष 2010 से वर्ष 2016–17 तक की अवधि में सम्पादित कार्यों का विभिन्न विशेषज्ञों, बाहरी संस्थाओं व एफ0आर0आई0 के माध्यम से तृतीय पक्ष अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य करवाया गया है। वर्ष 2017–18 से वर्ष 2020–21 तक किए गये कार्यों के तृतीय पक्ष मूल्यांकन हेतु वानिकी अनुसंधान संस्थान से प्रस्ताव प्राप्त किया गया, किन्तु उनके द्वारा शत–प्रतिशत कार्यों की मॉनिटरिंग के आधार पर प्रस्ताव प्रेषित किया गया है जिसकी लागत अत्यधिक है। इस हेतु विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की सैंप्लिग इंटेंसिटी के दृष्टिगत टी0ओ0आर0 में आवश्यक संशोधन कर कार्यवाही गतिमान है। समिति द्वारा concurrent monitoring के परिणाम समिति की बैठक में प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा गयी।

9.5(5) –उत्तराखण्ड कैम्पा के लेखों की लेखा प्रमाणीकरण कार्य की अद्यतन स्थिति :–

समिति को अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 के लेखा प्रमाणीकरण की महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड की ऑडिट रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत की जा चुकी है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 का लेखा प्रमाणीकरण का कार्य माह फरवरी, 2023 तक पूर्ण कर लिया गया है। लेखा प्रमाणीकरण कार्य की ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त होनी अपेक्षित है।

9.5(6) –उत्तराखण्ड कैम्पा के वित्तीय वर्ष 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 की विषय केन्द्रित अनुपालन ऑडिट (Subject Specific Compliance Audit) के सम्बन्ध में :–

समिति को अवगत कराया गया कि महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 की विषय केन्द्रित अनुपालन ऑडिट (Subject Specific Compliance Audit) का कार्य पूर्ण किया गया है। महालेखाकार कार्यालय से ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त होनी अपेक्षित है।

9.5(7) – उत्तराखण्ड कैम्पा की वर्ष 2022 की Balance Sheet के Adoption (अनुमोदन) के सम्बन्ध में।

उत्तराखण्ड कैम्पा की वित्तीय वर्ष 2021–22 की बैलेन्स शीट तैयार कर सी0ए0जी0 इम्पैनल्ड सनदी लेखाकार (सी0ए0) से तैयार कराकर आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत ऑडिट कराकर आयकर विभाग में उत्तराखण्ड कैम्पा की आयकर विवरणी दाखिल कर दी गई है। कार्यकारी समिति द्वारा तदनुसार उत्तराखण्ड कैम्पा की वित्तीय वर्ष 2021–22 की बैलेन्स शीट का अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यसूची कार्यकारी समिति 9.6 :– अन्य बिन्दु

9.6(1)– समिति को अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड कैम्पा के सुचारू सम्पादन हेतु 01 वानिकी विशेषज्ञ/सलाहकार की (लेवल–14 के न्यूनतम मूल वेतन के समतुल्य ल0स0 मानदेय पर) तथा 01 सहायक वन संरक्षक स्तर के अधिकारी की प्रतिनियुक्ति/संविदा/आउटसोर्स (लेवल–10 के न्यूनतम

मूल वेतन के समतुल्य ल0स0 मानदेय पर) के माध्यम से दो वर्ष की निर्धारित अवधि हेतु सेवाएं ली जानी प्रस्तावित हैं, जिस हेतु कार्यकारी समिति का अनुमोदन निवेदित है।

समिति द्वारा इस पर चर्चा के उपरान्त 01 वानिकी विशेषज्ञ/सलाहकार की (लेवल–14 के न्यूनतम मूल वेतन के समतुल्य ल0स0 मानदेय पर) तथा 01 सहायक वन संरक्षक स्तर के अधिकारी की संविदा/आउटसोर्स (लेवल–10 के न्यूनतम मूल वेतन के समतुल्य ल0स0 मानदेय पर) के माध्यम से कार्य की आवश्यकता के अनुसार 02 वर्षों के लिये सेवायें प्राप्त किये जाने का अनुमोदन दिया गया।

अपर प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाऐं एवं नोडल अधिकारी, राज्य वन विकास अभिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा बैठक के अंतिम चरण में समिति को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड (NAEB), भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के कम में वन अनुसंधान संस्थान द्वारा तैयार की गई 13 नदियों के पुनर्जीवन से संबंधित डीपीआर में सम्मिलित **उत्तराखण्ड राज्य से बहने वाली यमुना नदी** से संबंधित कार्य उत्तराखण्ड वन विभाग द्वारा कराये जाने हैं। उक्त डीपीआर में प्रस्तावित कार्यों को 03 प्रकार के लैंडस्केप में विभाजित किया गया है यथा (i) प्राकृतिक (Natural), कृषि (Agriculture) तथा शहरी/उप–नगरीय (Urban and Peri-urban) लैंडस्केप। डीपीआर के अंतर्गत मुख्यतः वानिकी व मृदा एवं जल संरक्षण गतिविधियां सम्मिलित हैं जिन्हें कुल ₹123.71 करोड़ की लागत से 05 वर्षों में पूर्ण किया जाना है। दिनांक 20.03.2023 को प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में उक्त प्रस्ताव को उचित माध्यम से राष्ट्रीय प्राधिकरण भारत सरकार को केन्द्रीय कैम्पा बजट के अंतर्गत स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाये। अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, राज्य वन विकास अभिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा यमुना नदी के पुनर्जीवन से संबंधित डीपीआर के संबंध में समिति के समक्ष विस्तृत प्रस्तुतिकरण किया गया। समिति द्वारा प्रस्ताव को संचालन समिति की आगामी बैठक में सम्मिलित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई।

अन्त में प्रमुख वन संरक्षक(HoFF), उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष– कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा कैम्पा के कार्यों को उच्च गुणवत्ता एवं मानकों के अनुसार क्रियान्वित किये जाने व ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर प्रविष्टियों को अद्यतन किये जाने की अपेक्षा की गयी।

अन्त में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अध्यक्ष कार्यकारी समिति एवं समस्त उपस्थित सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक समाप्त की गयी।

अनुमोदित

(जी0एस0 पाण्डे)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा

(राजीव भरतरी)
प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा

उत्तराखंड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखंड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन मुख्यालय, 85–राजपुर रोड, देहरादून टेलीफैक्स : 0135–2744077 ई–मेलः ceocampa-forest-uk@nic.in /ceoukcampa@gmail.com

web site- www.ukcampa.org.in

पत्रांक– 24 / EC(9) दिनांक, देहरादून, 17 अप्रैल, 2023

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित :–

1. प्रमुख वन संरक्षक/महानिदेशक, वानिकी प्रशिक्षण एवं कौशल विकास तथा वन प्रबन्धन एवं अनुसन्धान, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उ0 कैम्पा।
2. मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उ0 कैम्पा।
3. नोडल अधिकारी, राज्य वन विकास अभिकरण (अपर प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं) एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उ0 कैम्पा।
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी–वन संरक्षण, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उ0 कैम्पा।
5. अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव प्रशासन एवं आसूचना, उत्तराखण्ड, देहरादून एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उ0 कैम्पा।
6. अपर सचिव–वन एवं पर्यावरण/वित्त/नियोजन/ग्राम्य विकास/राजस्व/कृषि/जनजाति विकास/पंचायती राज/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उ0 कैम्पा।
7. वित्त नियंत्रक, वन विभाग एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उ0 कैम्पा।
8. श्री एस0टी0एस0 लेप्चा, जनजाति मामलों के विशेषज्ञ/जनजाति समुदाय के प्रतिनिधि एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उ0 कैम्पा।
9. प्रतिनिधि–हिमालयन एक्शन रिसर्च सेन्टर, देहरादून गैर सरकारी संगठन एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उ0 कैम्पा।
10. प्रतिनिधि–उज्जवला, कोटद्वार मालिनी मार्केट, कोटद्वार, गैर सरकारी संगठन एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उ0 कैम्पा।
11. श्रीमती अमिता विश्वास, जिला पंचायत सदस्य, उधमसिंह नगर एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उ0 कैम्पा।
12. श्रीमती हरविंदर कौर, जिला पंचायत सदस्य, उधमसिंह नगर एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उ0 कैम्पा।

(जी0एस0 पाण्डे)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं
सदस्य–सचिव, कार्यकारी समिति, उ0 कैम्पा।

पत्रांक– 24 (1)/ EC(9) उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि : प्रमुख वन संरक्षक, (HoFF), उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(जी0एस0 पाण्डे)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं
सदस्य–सचिव, कार्यकारी समिति, उ0 कैम्पा।